उप व.

राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर

कार्यालय उप वन संरक्षक 2820 21.5.18 सीकर (राज.)

क्रमांक: राजस्व / 18 /                                                                 दिनांक:–

## आदेश

संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 6 (91) राज–3 / 17 दिनांक 26.04.2018 की स्वीकृति के अनुसार सीकर से हर्ष सड़क किमी 8 / 750 से 15 / 100 का नवीनीकरण, चौड़ीकरण व सुद्रढ़ीकरण के लिये तहसील धोद के ग्राम आंतरी के ख.नं. 2 रकबा 137.67 में से 0.50 है., ख.नं. 6 रकबा 42.15 मे से 0.84 है., ख.नं. 7 रकबा 122.76 मे से 1.23 है. व ख.नं. 510 रकबा 151.96 मे से 3.78 है. कुल किता 4 कुल रकबा 6.35 है. वन विभाग की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति में ग्राम श्यामनगर तहसील नीमकाथाना के ख.नं. 243 रकबा 44.65 है. किस्म बजंड़ काबिल चराई (सिवायचक) में से 6.35 है. राजस्व भूमि वन विभाग को राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की द्वारा 102 के तहत प्रत्यावर्तन किये जाने की राज्य स्वीकृति प्राप्त हुई है।

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर की उक्त स्वीकृति के संदर्भ मे तहसील नीमकाथाना के ग्राम श्यामनगर के ख.नं. 243 रकबा 44.65 है. किस्म बंजड़ काबिल चराई (सिवायचक) मे से 6.35 है. भूमि को वन भूमि के रूप में दर्ज कर वन विभाग के नाम करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर,सीकर

FCA

क्रमांक: राजस्व / 18 / 1705–09                                                 दिनांक:– 18/05/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ पालनार्थः–

1. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. अधिक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर।
3. उपवन संरक्षक, सीकर।
4. तहसीलदार नीमकाथाना को भेजकर लेख है कि उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
5. रक्षित पत्रावलि।

प्रभारी अधिकारी
राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट,सीकर

D:\Revunue cell\vividh.doc